

तुरंत जारी करने के लिए

प्रेस विज्ञप्ति

स्कूली बच्चों को बेचे गए, आपूर्तित खाद्य पदार्थों के लिए एफ.एस.एस.ए.आई का 10-सूत्री प्रस्ताव

नई दिल्ली, 07 नवंबर, 2019: स्वास्थ्यकर खाना खाने से हमारे बच्चे अच्छे महसूस करते हैं, जल्दी बढ़ते हैं और जल्दी सीखते हैं। बच्चों में सही खाने की आदत छोटी उम्र से ही डाली जा सकती है। स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यकर आहार सुनिश्चित करने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने मसौदा खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और स्वास्थ्यकर आहार) विनियम, 2019 का प्रस्ताव किया है। ये विनियम इस आधारभूत बात को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं कि बच्चों के लिए क्या खाना सही है और क्या नहीं है।

इस विनियम के लिए 10-सूत्री चार्टर

1. स्कूल प्राधिकरण स्वयं/स्कूल प्राधिकरण द्वारा अनुबंधित स्कूली आहार बेचने अथवा उनकी आपूर्ति करने वाले खाद्य कारोबारी और मध्याह्न भोजन योजना के प्रचालन हेतु स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा अनुबंधित खाद्य कारोबारी अपना पंजीकरण कराएँ अथवा लाइसेंस लें, जो भी लागू हो, तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची के तहत विनिर्दिष्ट खाद्य सेवा स्थापनाओं के लिए लागू साफ-सफाई और स्वच्छता रीतियों संबंधी अपेक्षाओं का पालन करें;
2. जिन खाद्य पदार्थों को उच्च वसा, लवण और शर्करा वाले खाद्य (एच.एफ.एस.एस.) माना जाता है, वे स्कूलों की कैंटीनों/भोजनालय/परिसर/रसोइयों में अथवा उनके कैम्पस के 50 मीटर के अंदर स्कूली बच्चों को नहीं बेचे जा सकते;
3. स्कूलों को स्कूली बच्चों में सुरक्षित खाद्य और स्वास्थ्यकर आहार करने की आदत डालने के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तथा सुरक्षित

- और स्वास्थ्यकर आहार, स्थानीय और मौसमी आहार और विनिर्दिष्ट बेंचमार्कों के अनुसार खाने की बरबादी न होने देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्कूल कैंपसों को ईट राइट स्कूल में तबदील करना;
4. स्कूल प्राधिकरणों को राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एन.आई.एन) द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार स्कूल में सुरक्षित और संतुलित आहार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना;
 5. स्कूल प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगी कि परिसरों में तैयार भोजन की आपूर्ति करने वाले खाद्य कारोबारी विनियम में विनिर्दिष्ट सामान्य दिशा-निर्देशों के आधार पर और खाद्य प्राधिकरण अथवा खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार हैं;
 6. स्कूली बच्चों के लिए मेनु बनाने के लिए स्कूल प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर पोषणविज्ञानियों, आहार-विज्ञानियों की सेवाएँ ली जाएँ;
 7. एच.एफ.एस.एस खाद्य उत्पादों का उत्पादन करने वाले खाद्य कारोबारियों को ऐसे खाद्य पदार्थों का बच्चों के लिए स्कूल में अथवा स्कूल कैंपस के 50 मीटर के अंदर विज्ञापन देने पर प्रतिबंधित किया जाए;
 8. खाद्य कारोबारी स्कूलों में स्वास्थ्यकर खान-पान में सहयोग दें और स्कूल कैंपस में कहीं भी अल्प पोषण वाले आहारों का विपणन, विक्रय अथवा वितरण न करें, जिनमें ऐसा प्रयास लोगो, ब्रांड नाम, पोस्टरों, पाठ्य-पुस्तकों के कवरों के माध्यम से करना भी मना हो।
 9. बच्चों को सुरक्षित, स्वास्थ्यकर और स्वच्छ आहार की पूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए परिसरों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए;
 10. इन विनियमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यकर आहार की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाने की मॉनिटरी करने के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार समिति द्वारा एक उप-समिति गठित की जाए।

एफ.एस.एस.ए.आई ने हितधारकों से अपने सुझाव और आपत्तियाँ इन मसौदा विनियमों के प्रकाशित होने के 30 दिनों के अंदर देने के लिए आमंत्रित किया है। हितधारकों से प्राप्त सम्मतियों पर विचार करने और अंतिम रूप दिए जाने के बाद इन विनियमों को क्रियान्वित किया जाएगा।

इसी दौरान राज्य खाद्य प्राधिकरणों/स्कूली शिक्षा विभागों को स्कूली बच्चों के लिए स्वास्थ्यकर आहार के मार्गदर्शी सिद्धांत इन विनियमों में दिए गए सामान्य दिशा-निर्देशों के अनुसार बनाने के लिए निर्देश दिया जाएगा।

मीडिया पूछताछ के लिए संपर्क करें:

रुचिका शर्मा

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

E: sharmaruchika.21@gmail.com